अध्याय–I: सामान्य

1.1 सामान्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.मं.) के अन्तर्गत ई–परिवहन परियोजना, भारत सरकार ने मिशन मोड प्रोजेक्ट (मि.मो.प्रो.) के रूप में वर्ष 2002 में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था। परियोजना में नागरिकों को सेवा देने की गुणवत्ता और संभागीय परिवहन कार्यालयों (सं.प.का.) के कार्य के वातावरण में सुधार की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (रा.सू.वि.कें.), को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजना के डिजाइन, विकास, रोल आउट और रखरखाव के लिए एवं राज्य के सभी वाहनो के पंजीकरण एवं ड्राइविंग लाइसेंस के डेटा को राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर में संकलित करने हेतु तकनीकी भागीदारी की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। तदनुसार, वाहन और सारथी एप्लीकेशन्स को लेखापरीक्षा मानदण्ड में वर्णित केंद्रीय और राज्य मोटर यान के अधिनियमों और नियमों द्वारा अनिवार्य कार्यक्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए अवधारणाबद्ध किया गया था।

भारत सरकार (भा.स.) ने, पंजीकृत वाहनों एवं जारी ड्राइविंग लाइसेंस का राष्ट्रीय और राज्य रजिस्टर[1] रखने एवं केंद्र और सुरक्षा एजेंसियों के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (रा.सू.वि.कें.) द्वारा विकसित 'वाहन' और 'सारथी' एप्लिकेशन सिस्टम को राज्य सरकारों को लागू करने का निर्देश दिया था।

वाहन के लिए: विभाग वाहनों के पंजीकरण/नवीनीकरण, स्वामित्व के हस्तांतरण, पते में परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने/नवीकरण, सभी प्रकार के परमिट जारी करने/नवीकरण एवं कर और शास्ति के संग्रह के लिए वाहन एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है। वाहन 1.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन अक्टूबर 2006 में प्रारम्भ हुआ और अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूर्ण किया गया। विभाग ने वाहन के नवीनतम संस्करण यथा– वाहन 4.0 को जनवरी 2016 और फरवरी 2019 के मध्य अपने सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया। यह एक वेब आधारित प्रणाली है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए: विभाग लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने/नवीनीकरण एवं शुल्क और शास्ति वसूलने के लिए सारथी एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है। सारथी 2.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन जून 2011 में प्रारम्भ हुआ और अप्रैल 2013 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूर्ण किया गया। विभाग ने सारथी के नवीनतम संस्करण यथा– सारथी 4.0 को अक्टूबर 2016 और मई 2018 के मध्य अपने सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया। यह भी एक वेब आधारित प्रणाली है।

प्रवर्तन के लिए: ई–चालान ऐप, परिवहन प्रवर्तन शाखा और यातायात पुलिस द्वारा उपयोग के लिए एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप और बैक–इंड वेब एप्लिकेशन के माध्यम से यातायात उल्लंघन का प्रबंधन करने के लिए एक एकीकृत प्रवर्तन समाधान है। इस ऐप का उपयोग जून 2017 से चालान जारी करने और प्रशमन शुल्क के निस्तारण के लिए किया जाता है।

---

[1] मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 26 और 63, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 23 और 75 के साथ पठित।

नए एप्लीकेशन को शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाना, परिवहन विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना एवं प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी, लागत प्रभावी और उपयोग के अनुकूल बनाना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल और ऑन–लाइन सेवा माड्यूल को एक केंद्रीकृत प्लेटफार्म पर समेकित करके, सेवाओं की श्रेणी और गुणवत्ता में सुधार करके, प्रक्रियाओं को अधिक तर्कसंगत और नागरिक अनुकूल बनाकर मौजूदा प्रणाली को नया रूप दिया गया। फ्रंट इंड पर चल रही ऑन–लाइन सेवाओं को बैक–इंड पर सं.प.का. के एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को सं.प.का./स.सं.प.का. में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता कम से कम या समाप्त हो सके। वाहन 4.0[2] और सारथी 4.0[3] को पहले के नागरिक केंद्रित एप्लीकेशन अर्थात् वाहन/सारथी संस्करण 1.0/2.0 को जो अलग–अलग प्लेटफार्मों पर चल रहा था को समान पोर्टल पर जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस से जोड़ता है एवं एक ही बिंदु से जी. 2 सी[4]., जी 2 बी.[5] और जी 2 जी[6] के सेवाओं का एक व्यापक सेट प्रदान करता है को एकीकृत करने के लिए संकल्पित किया गया था। पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सूचना सेवाओं को रीयल–टाइम डेटा एक्सेस और परिष्कृत प्रस्तुति टूल जैसे डैशबोर्ड, भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ.सू.प्र.) आधारित अधिक विशिष्ट डेटा आदि के वर्णन के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। वाहन 4.0 का डेटा सेंटर, राष्ट्रीय डेटा केंद्र (रा.डे.कें.), नई दिल्ली में स्थित है एवं सारथी 4.0 का डाटा सेंटर, रा.डे.कें, हैदराबाद में स्थित है। आपदा रिकवरी स्थल दोनों एप्लीकेशन के लिए रा.डे.कें, भुवनेश्वर में स्थित है।

वाहन 4.0 और सारथी 4.0 में परिचालित प्रमुख मॉड्यूलस इस प्रकार हैं:–

[2] वाहन 4.0 एक केंद्रीकृत, वेब समर्थ एप्लिकेशन है, जो सभी सं0प0का0, डीलरों, नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य हितधारकों के लिए आसान वेब–आधारित पहुँच की सुविधा प्रदान करता है, जबकि एप्लिकेशन की विन्यासता, राज्य विशिष्ट अनुकूलन को संबोधित करने की अनुमति देती है।

[3] सारथी 4.0 एक कार्यप्रवाह–आधारित एप्लिकेशन है, जो वेब–आधारित, केंद्रीकृत माध्यम में उपलब्ध है, जो ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस और ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस के प्रबंधन में मदद करता है।

[4] सरकार से उपभोक्ता।

[5] सरकार से व्यवसायिक।

[6] सरकार से सरकार।

pkV 1-1% çe[k ekMîÿY l@okgu 4-0 e ifjpkfyr lok,

Okkgu ,lyhds'ku% ie[k e,Mîy

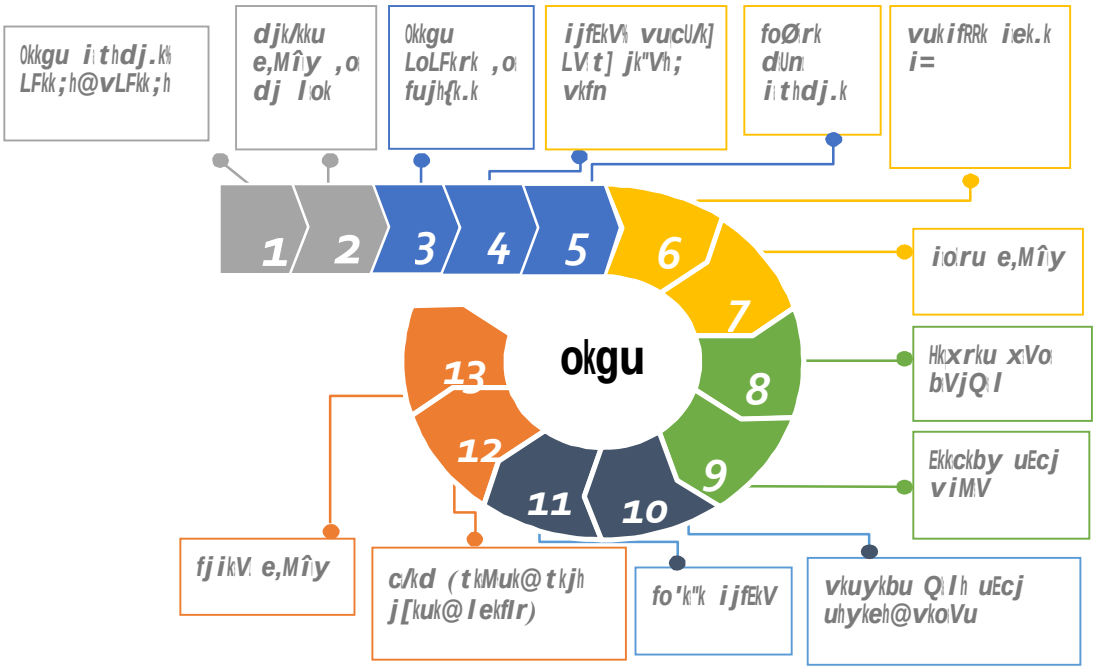

(lkr% l0i0jk0e0 dh vkfèkdkfjd oclkbV l çkIr MVk)

pkV 1-2% çe[k ekMîÿY l@LkkjFkh 4-0 e ifjpkfyr lok,

lkjFkh ,lyhdsku% ie[k e,Mîy

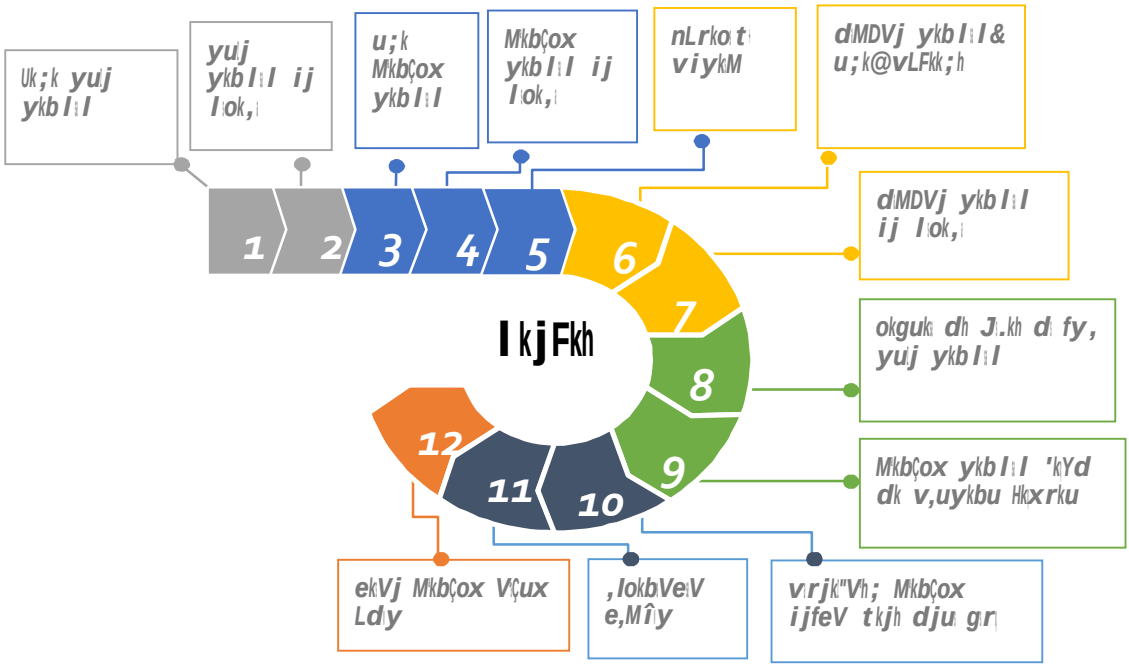

(lkr% l0i0jk0e0 dh vkfèkdkfjd oclkbV l çkIr MVk)

1.2 lxBukRed <kapk

प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर परिवहन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते है। करों, शुल्कों और शास्ति के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प.आ.) उत्तर प्रदेश द्वारा शासित और पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय में पाँच अपर परिवहन आयुक्त एव मण्डल स्तर पर छः उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19 संभागीय परिवहन अधिकारी (सं.प.अ.) तथा जनपद स्तर पर 75 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (स.सं.प.अ.) (प्रशासन) करते है। संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन यानो से सम्बन्धित परमिट जारी करने का समग्र कार्य करते हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन एवं गैर–परिवहन वाहनों के संबंध में करों और शुल्कों के निर्धारण और आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं।

राज्य में 114 प्रवर्तन दल जनपद स्तर पर तैनात है। इसके अतिरिक्त, मुख्यालय में दो विशेष प्रवर्तन दल तैनात हैं। ये प्रवर्तन दल, 19 संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन) के अधीन काम करते हैं, जो सम्भाग स्तर पर तैनात होते हैं, जो अंततः मुख्यालय से सम्बद्ध होते हैं। संगठनात्मक ढाँचा **pkVZ 1-3** में नीचे वर्णित है।

pkVZ 1-3 – lxBukRed <kapk

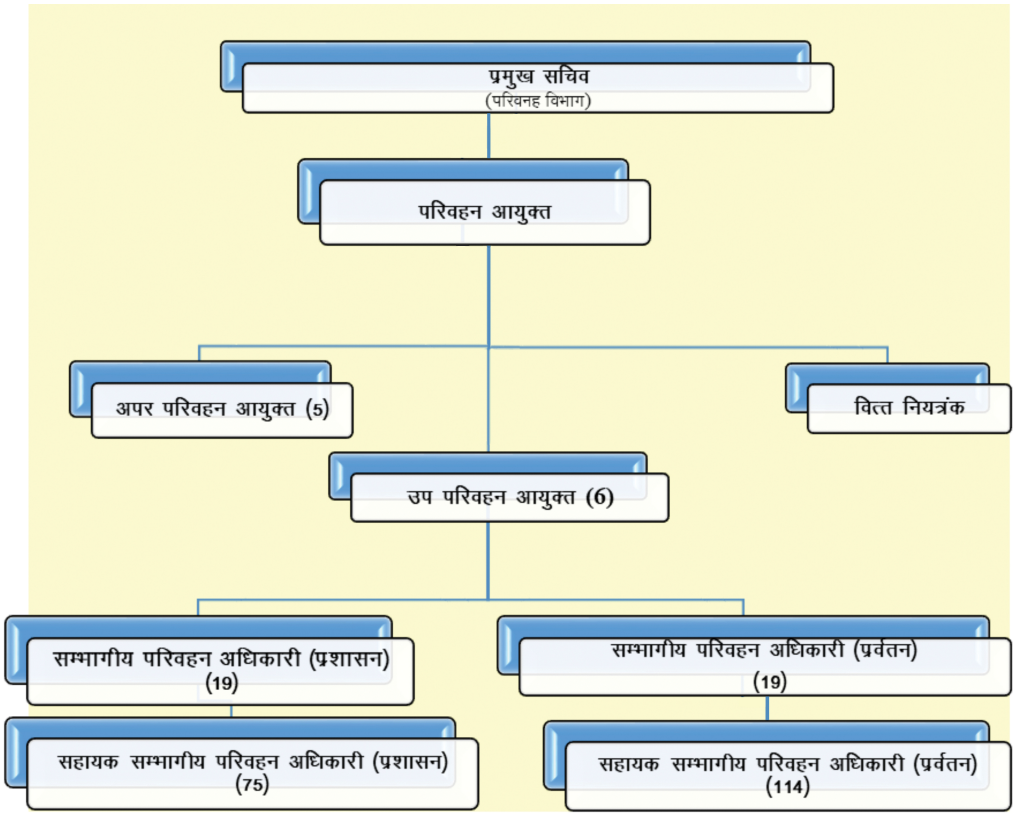

(lzksr% foHkkxh; vfèkdkfjd oc lkbV)

सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों को अपर परिवहन आयुक्त, आईटी द्वारा प्रशासित और पर्यवेक्षित किया जाता है, जिनकी सहायता मुख्यालय में एक संभागीय परिवहन अधिकारी और एक डाटा बेस प्रशासक (डा0बे0प्र0) और जिला स्तर पर 76 डा0बे0प्र0 द्वारा किया जाता है।

1.3 foHkkx dh jktLo çkfIr;k

विभाग ने मार्च 2021 तक 3.77 करोड़ वाहनों[7] का पंजीकरण, 1.02 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस (ड्रा.ला.) और 21.56 लाख वाहनों के चालान जारी किए। वर्ष 2016–17 से 2020–2021 के दौरान विभाग की राजस्व प्राप्तियों का विवरण **rkfydk&1-1** में दिखाया गया है।

rkfydk &1-1

fiNy ikp o"kk d nkjku jktLo çkfIr;k

(₹ djkM e)				
Ok"k	dy jktLo ikfIr;k	vku&ykbu jktLo çkfIr	dy jktLo çkfIr dh rqyuk e vku&ykbu jktLo çkfIr dk çfr'kr	vkQ&ykbu jktLo çkfIr
2016-17	5,148.32	2,112.37	41.03	3,035.95
2017-18	6,349.52	3,251.18	51.20	3,098.34
2018-19	6,929.93	4,523.36	65.27	2,406.57
2019-20	7,173.20	5,345.88	74.53	1,827.32
2020-21	5,905.98	4,889.82	82.79	1,016.16
	31,506.95	**20,122.61**	**63.87**	**11,384.34**

(lkr% ifjogu foHkkx }kjk miyCèk djkÃ xÃ lpuk)

राज्य के कुल राजस्व कर (₹ 5,46,203.91 करोड़) में पाँच वर्षो अर्थात 2016–17 से 2020–21 के दौरान परिवहन विभाग का लगभग छः प्रतिशत योगदान था। ऑन–लाइन प्रणाली से राजस्व संग्रह 20,122.61 करोड़ एवं ऑफ–लाइन प्रणाली से 11,384.34 करोड़ था। इस दौरान ऑन–लाइन के माध्यम से राजस्व संग्रह 41.03 प्रतिशत से बढ़कर 82.79 प्रतिशत रहा।

1.4 y[kkijh{kk d mís';

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या

- वाहन, सारथी और ई–चालान ऐप के कार्यान्वयन से विभाग के उद्देश्यों[8] की प्राप्ति हुई;
- वाहन, सारथी और ई–चालान ऐप के लिए सुरक्षा और अन्य सामान्य नियंत्रण को व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिभाषित एवं अनुपालन किया गया था; तथा
- व्यवसायिक नियमों का ठीक से प्रतिचित्रण किया गया था एवं आईटी एप्लिकेशन में सभी आवश्यक कार्यक्षमतायें प्रदान की गई थीं।

[7] परिवहन एवं गैर–परिवहन वाहन।

[8] विभाग स0प0रा0मं0 के उद्देश्यों का पालन करेगा अर्थात नागरिकों को बेहतर सेवाएं, समय–समय पर सरकारी नीतियों का त्वरित कार्यान्वयन, सरकार और विभाग की बेहतर छवि और अन्य सरकारी विभागों तक वाहन की त्वरित पहुँच।

1.5 y[kkijh{kk ekun.M d lkr

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धियों का आंकलन करने के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत निम्नलिखित अधिनियम और नियम थे जो वाहनों के पंजीकरण की प्रणाली, लाइसेंस जारी करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र, परमिट, मोटर वाहन कर/अतिरिक्त कर आदि का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं एवं अन्य संबंधित दस्तावेजः

- मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989;
- उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम);
- इसके तहत बनाए गए उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियम, 1998 (उ.प्र.मो.या.क. नियम);
- उत्तर प्रदेश मोटर यान नियम, 1998;
- कैरिज बाइ रोड अधिनियम, 2007 (कै.बा.रो. अधिनियम) और कैरिज बाइ रोड नियम, 2011 (कै.बा.रो. नियम);
- सरकार और विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश;
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।

1.6 y[kkijh{kk dk dk;{k=

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाँच वर्षों की अवधि अर्थात 2016–17 से 2020–21 तक आच्छादित किया गया है। लेखापरीक्षा ने फरवरी 2021 से जनवरी 2022[9] के दौरान परिवहन आयुक्त (प.आ.) और 12 चयनित संभागीय परिवहन कार्यालयों (सं.प.का.)/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों (स.सं.प.का.) के कार्यालयों में रखे गए अभिलेखों की जाँच/सत्यापन किया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के स्तर का पता लगाया जा सके।

1.7 y[kkijh{kk dk;i)fr

विभाग के साथ 08 फरवरी 2021 को एक परिचयात्मक गोष्ठी आयोजित की गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा के क्षेत्र, मानदण्ड और कार्यपद्धित पर चर्चा की गई। सम्पूर्ण राज्य के लिए वाहन, सारथी और ई–चालान ऐप के डंप डाटा प्राप्त[10] होने पर टेबलु[11] और आईडिया[12] एप्लीकेशन में डाटा का विश्लेषण किया गया है। डाटा विश्लेषण से 30 लेखापरीक्षा परिणाम प्रकाश में आये जो सात सं.प.का./पाँच स.सं.प.का. में बनाए गए प्रति जाँच 20 मामलों के अभिलेखों के साथ नमूना आधार पर प्रति सत्यापित/सत्यापित किए गए थे। सं0प0का0/स0सं0प0का0 के कार्यालयों का चयन[13] डाटा के सामान्यीकरण (दो परिवर्तनशील नामतः एकत्रित राजस्व एवं वाहनों की संख्या) के

---

9 कोविड –19 महामारी के कारण लेखा परीक्षा का काम रोक दिया गया था।
10 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के सीडीएमए विंग से।
11 यह एक बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा विज़ुअलाइज़ेशन एनालिटिक्स टूल है।
12 इंटरएक्टिव डाटा एक्ट्रैक्शन एंड एनालिसिस एप्लीकेशन।
13 सांख्यिकी सलाहकार द्वारा अनुमोदित।

आधार पर (प्र0बि0स0या0न0) प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति के माध्यम से 75 जनपदों में से 12 जनपदों (सात सं.प.का.[14] और पाँच स.सं.प.का.[15]) का किया गया था। विभाग के साथ 26 जुलाई 2022 को एक समापन गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई। विभाग के उत्तरों को संबंधित प्रस्तरो में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.8 ifronu dh lkexh

इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पाँच अध्याय हैं। **vè;k;&I** विभाग का परिचय, संगठनात्मक ढाँचा, राजस्व प्राप्तियाँ, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड और लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करता है। **vè;k;&II** एप्लीकेशन और ऑन–लाइन सेवाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है, **vè;k;& III** सुरक्षा और सामान्य नियंत्रण में कमियों पर प्रकाश डालता है और **vè;k;& IV** वाहन और ई–चालान ऐप में व्यवसायिक नियमों का गलत प्रतिचित्रण के कारण परिवहन राजस्व की कम वसूली से संबंधित है। **vè;k;&V** एप्लीकेशन कन्ट्रोल में कमियों और अन्य अनियमितताओं पर प्रकाश डालता है। प्रतिवेदन का वित्तीय प्रभाव ₹ 1,033.37 करोड़ है।

1.9 vfHkLohd`fr

लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में परिवहन विभाग द्वारा दिए गए सहयोग के लिए लेखापरीक्षा अभिस्वीकार करती है।

[14] सं.प.का. बरेली, सं.प.का. गाजियाबाद, सं.प.का. गोंडा, सं.प.का. कानपुर नगर, सं.प.का. मेरठ, सं.प.का. प्रयागराज और सं.प.का. वाराणसी।

[15] स.सं.प.का. हमीरपुर, स.सं.प.का. कुशीनगर, स.सं.प.का. लखीमपुर खीरी, स.सं.प.का. संत रविदास नगर और स.सं.प.का. सीतापुर।